

न्यायालय :-माखनलाल झोड, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
:: श्रृंखला न्यायालय बैहर ::

Case No. C.R.A./08/2017

Filling No. -CRA/476/2017

CNR-MP5001000585-2017

संस्थित दिनांक - 06.12.2017

धनसिंह उर्फ धन्नूलाल आयु 30 वर्ष वल्द चुन्नीलाल जाति मरार
निवासी-ग्राम बिरवा तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - अपीलार्थी

// विरुद्ध //

म0प्र0 राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र बैहर
तहसील बैहर जिला बालाघाट - - - उत्तरवादी

=====

{न्यायालय:- श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर
द्वारा आप.प्रक.क. 08/2017 शासन विरुद्ध धनसिंह+1 निर्णय दिनांक 11.01.
2017 से परिवेदित होकर यह दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374 द.प्र.सं. के तहत
प्रस्तुत की है}

=====

श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी-धनसिंह उर्फ धन्नूलाल ।
श्री अभिजीत बापट, ए.पी.पी. वास्ते उत्तरवादी/राज्य ।

=====

- // // निर्णय // // -

(आज दिनांक 08 जनवरी 2018 को घोषित)

1. अपीलार्थी ने यह अपील न्यायालय श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 08/2017 म0प्र0 राज्य विरुद्ध धनसिंह + 1 निर्णय एवं दण्डाज्ञा दिनांक 11.01.2017 को धारा 394 भा.द.वि. में छः माह के सश्रम कारावास एवं 1,000/-रूपए के अर्थदण्ड किए जाने से परिवेदित होकर पेश की है।
2. अभियोजन के मामले का सार यह है कि दिनांक 05.04.1994 को फरियादी सिमेन्ट फैक्ट्री बैहर में हेल्पर का काम करता था। दोपहर 2:00 बजे

से रात 10 बजे तक फैक्ट्री में ड्यूटी थी, रात करीब 10 बजे ड्यूटी समाप्त होने के बाद काम करने वाले मंगल सिंह के साथ अपने घर पोंगार आ रहा था। कटंगी के सीताबाबा टोला के पास पहुंचा वहां बिरसा का धन्नू मरार और मिलन लाठी लेकर खड़े मिले, धन्नू मरार ने कहा कि पैसे दो, मना किया तो धन्नू और मिलन ने पकड़ लिया और धन्नू ने लाठी से सिर बाएं बक्खा, बायीं पसली पर मारा, मिलन ने दाएं हाथ और पैर पर मारा, गिर गया, फरियादी की जेब से दस-दस रुपये के तीन नोट कुल 30/-रुपए निकाल कर छीन लिये, मंगल सिंह ने बीच बचाव किया तो उसे भी पीठ में लठ से मारकर भाग गये, की रिपोर्ट लेख कराए जाने पर थाना बैहर के अपराध क्रमांक 71/1994 की कायमी कर, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, साक्षियों के कथन लेख किए गए, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश किया।

3. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर आयी साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया है। साक्षियों की साक्ष्य में अत्यधिक विरोधाभास है। साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अपीलार्थी को धारा 394 भा.द.वि. के तहत 6 माह का सश्रम कारावास और 1,000/-रुपए से दंडित कर त्रुटि की है, अपीलार्थी द्वारा 30/-रुपए निकालकर लूट कारित किया है, की ओर अनदेखा कर त्रुटि की है, अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दिनांक 05.04.1994 का है जो 26 वर्ष से अधिक का प्रकरण है, को अनदेखा कर निर्णय पारि करने में त्रुटि की है, अपीलार्थी जेल में रहा है, उतनी अवधि का दण्डादेश देकर प्रकरण समाप्त करना था, ऐसा न कर त्रुटि की है, न्यायालय द्वारा साम्य एवं न्याय की दृष्टि तथा विधि-सिद्धांतों के विपरीत निर्णय पारित कर त्रुटि की है, अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पारित निर्णय निरस्त किए जाने की याचना की है।

अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

4. दण्डिक प्रकरण क्रमांक 284/2003 शासन विरुद्ध धनसिंह+1 में पारित निर्णय दिनांक 11.01.2017 में क्या साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होने या तथ्य की त्रुटि अथवा विधि की त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

विचारणीय प्रश्न का अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष:-

5. मंगल सिंह (अ.सा.1), अनिल सोनी (अ.सा.3), हरिकिशन (अ.सा.4), गुहदड़ सिंह (अ.सा.5), रामप्रसाद दमाह पेशा पटवारी (अ.सा.8), देवेन्द्र असाठी (अ.सा.9), राजेन्द्र असाठी (अ.सा.10) की साक्ष्य में अपील के निराकरण हेतु विचार में लिए जाने योग्य साक्ष्य का अभाव है।
6. आहत मैनेजर (अ.सा.2) ने साक्ष्य दी है कि अनुपस्थित आरोपी धन्नूलाल को पहचानता है। करीब 3 साल पहले होली के खतम होने के बाद 5 तारीख की बात की है। रात्रि करीब 10:00 बजे वे फैक्ट्री में ड्यूटी करने के बाद वापस आ रहे थे। साथ में अमरसिंह, मंगल और जगदीश था। जगदीश, मूलचंद, अमरचंद बिरवा के लिए चले गये, मंगल और साक्षी पोंगार के लिए जा रहे थे। रास्ते में उपस्थित आरोपी मिलन मिला एवं धन्नू दोनों रास्ते में रोक लिए, दोनों ने बोले कि ड्यूटी से आ रहे हो पैसे निकालों तब साक्षी की पेंट की जेब से 30/-रुपए धन्नू और मिल्लू ने निकाल लिए। साक्षी ने कहा कि गरीब आदमी को क्या लूटते हो, कहने पर दोनों ने लाठी से मारपीट की और सुला दिया। आरोपीगण ने बाद में कहा कि मर जाएगा और ऐसा कहकर भाग गये।
7. मुख्य परीक्षण में आगे साक्ष्य दी है कि मंगल ने आकर साक्षी को साजा के पेड़ के पास सुला दिया और मंगल ने साक्षी के घर जाकर बताकर आया और तब बस्ती वाले दौड़कर आए, बस्ती वालों ने पानी पिलाया, बैहर लेकर आए, बैहर में की रिपोर्ट प्र.पी. 2 है, पर अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। साक्षी का मुलाहिजा, एक्स-रे हुआ था। साक्षी के सिर में दाहिने तरफ पसली में, बाएं साईड के घुटने में चोट आयी थी। पीठ में खूंटा से मारने का निशान आया था। बैहर थाना की पुलिस ने सफेद शर्ट खून लगी जप्त की थी। मौके पर जप्ती का गवाह मंगल मौजूद था। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 लगायत 8 में तथ्यात्मक बिंदु पर आयी साक्ष्य पर प्रतिपरीक्षण नहीं है, खंडन नहीं है।

8. डॉ. एन.एस. कुमरे (अ.सा.6) ने साक्ष्य दी है कि दिनांक 06.04.1994 को साक्षी द्वारा मंगल का मुलाहिजा किया गया था। पद क्रमांक 2 में साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 28.05.1995 को धनसिंह उर्फ धन्नू का मुलाहिजा किया था, जो प्र.पी. 11 है जिसके अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है। धन्नू के शरीर पर 4 एब्रेजन पाए थे जो जांघ के पिछले हिस्से पर, बाएं पैर में, दायाँ जांघ में, दोनों पैर के घुटनों के निचले भाग पर थी। सारी चोटें साधारण प्रकृति की थी। प्रतिपरीक्षण में इंकार किया है कि धन्नू को आयी चोटें स्वयं के द्वारा कारित चोटें हो सकती हैं।

9. डॉ. आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.7) की साक्ष्य आहत मैनेजर के शरीर पर आयी चोटों के परीक्षण बाबद है। इस साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक 06.04.1994 को दिन के 02:30 बजे मैनेजर पिता अटुलाल की चोटों का परीक्षण किया था जिसके सिर में पैराइटल रीजन में फटा हुआ घाव आधा इंच गुणा आधा इंच चमड़ी की गहराई तक था, जिससे खून निकल रहा था। चोट क्रमांक 2 मुंदी चोट दाहिने सीने के नीचे भाग में 1/2 इंच गुणा 1/2 इंच आकार की लाल, नीले रंग की थी। चोट क्रमांक 3 मुंदी चोट सीने के बायीं ओर दूसरी पसली के पास 1/2 इंच गुणा 1/2 आकार की थी। चोट क्रमांक 4 एक मुंदी चोट दाएं जांघ के उपर बीचोबीच बाहर की ओर 1 इंच गुणा आधा इंच आकार की लाल, नीले रंग की थी, एक मुंदी चोट दाहिने घुटने के सामने की ओर 1 इंच गुणा आधा इंच आकार की लाल, नीले रंग की थी, एक मुंदी चोट बाएं पुट्टे पर आधा इंच गुणा आधा इंच आकार की लाल, नीले रंग की थी, एक मुंदी चोट बाएं हाथ पर बीचोंबीच आधा इंच गुणा आधा इंच आकार की लाल, नीले रंग की थी तथा आठवीं चोट मुंदी अग्र भुजा पर नीचे की तरफ आधा इंच गुणा आधा इंच आकार की लाल, नीले रंग की थी।

10. पद क्रमांक 2 में कथन किया है कि मरीज को ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था, चोट क्रमांक 1, 3, 5 के लिए एक्स-रे की

सलाह दी गई थी। उक्त चोटें बोथरी और सख्त वस्तु से पहुंचाई गई है जो मुलाहिजा पूर्व 4-6 घंटे के भीतर की है। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिस पर अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है।

11. पद क्रमांक 4 में कथन किया है कि सिर की चोट में अस्थि में चोट नहीं पायी थी, सीने की बोन में कोई चोट नहीं पायी थी, मरीज 6 से 9 तारीख तक भर्ती रहा था उसकी स्थिति सामान्य पाए जाने पर उसकी छुट्टी की गई थी। बेडहेड टिकिट प्र.पी. 13 है जिसके अ से अ भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी, चोटें कड़ी, सख्त जगह पर गिरने से आ सकती है, मरीज घबराहट की स्थिति में था।

12. राजेश चौधरी (अ.सा.11) उप निरीक्षक की संपूर्ण साक्ष्य का अध्ययन किया गया। मुख्य कथन के पद क्रमांक 1 लगायत 5 एवं 7 तथा प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 6 एवं 8 लगायत 9 में आयी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। अन्वेषण अधिकारी के कथन को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। आहत के कथन, प्रार्थी के कथन, चिकित्सक साक्षीगण के कथन और अन्वेषण अधिकारी के प्रक्रिया बाबद कथन के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध पाने में कोई विधिक त्रुटि, तथ्य की त्रुटि या साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है इसलिए प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2017 में हस्तक्षेप किए जाने की विधिक आवश्यकता नहीं है।

13. अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है। दण्ड के प्रश्न पर विचार करें तो विद्वान विचारण न्यायालय ने पूर्व में ही सहानुभूतिपूर्वक कम सजा की है उसे और कम नहीं किया जा सकता, इसलिए दण्डाज्ञा की भी पुष्टि की जाती है।

14. अपीलार्थी के सजा वारंट पर टीप लेख हो कि विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय एवं दण्डाज्ञा की पुष्टि की गई है, नियमानुसार छः माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।

15. अपीलार्थी धनसिंह उर्फ धन्नूलाल पिता चुन्नीलाल ने विचारण न्यायालय के समक्ष रसीद क्रमांक 23323/51 दिनांक 11.01.2017 के द्वारा अर्थदण्ड की राशि 1,000/- (एक हजार रुपए) जमा कर दी है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

16. धारा 454 द.प्र.सं. के अधीन प्रश्नाधीन निर्णय दिनांक 11.01.2017 के पद क्रमांक 16 एवं 18 की पुष्टि की जाती है। इस निर्णय के विरुद्ध अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

17. निर्णय की एक प्रति विद्वान विचारण के मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेख अभिलेख, अभिलेखगार भेजा जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

Sd/-

{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

Sd/-

{माखनलाल झोड़}

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर